

12-7-23

पत्रावली आज पेश हुई।


वादीगण वकील एवं वादीगण अनुपस्थित।

आज अदालत समय में रूक-रूक कर तीन बार बार आवाजे दिलवाये जाने के बावजूद वादीगण एवं उनके वकील में से कोई उपस्थित नहीं हुए।

अदालत उठने से पूर्व एक बार पुनः आवाज लगाई गई। फिर भी इनमें से कोई हाजिर नहीं हुए। इससे जाहीर होता है कि वादीगण एवं उनके वकील इस प्रकरण में कोई रूची नहीं ले रहे हैं।

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 2 व आदेश 9 नियम 3 सीपीसी के तहत वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।


महाराष्ट्र दफ़तर
(200) धोरीमन्ना

